कार्यालय, प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर

दिनांक :– 01.11.2018

प्रवेश सूचना एलएल.बी. प्रथम वर्ष (सत्र 2018–19)

राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर में विधि प्रथम वर्ष सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है। आवेदन पत्र राजकीय विधि महाविद्यालय के पोर्टल (hte.rajasthan.gov.in/ugadmission.php) से कॉमन एडमिशन फार्म डाउनलोड कर समस्त प्रविष्टियों को भरकर मय मूल दस्तावेजों के महाविद्यालय में जमा करावें।

प्रवेश कार्यक्रम इस प्रकार है :–

1	आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि व समय	दिनांक 01.11.18 से 13.11.18 तक (राजकीय अवकाश दिनांक 07.11.18 से 11.11.18 को छोड़कर) प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक
2	वरियता व प्रतीक्षा सूची जारी करने की तिथि व समय	दिनांक 15.11.2018 को प्रातः 10.00 बजे
3	प्रथम प्रवेश वरियता सूची व प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन व प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि व समय (प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को निर्धारित फीस का डी.डी. प्रस्तुत करना होगा जो कि PRINICIAP GOVT LAW COLLEGE, NAGAUR के नाम से SBI Bank का ही मान्य होगा)	दिनांक 15.11.2018 से 17.11.2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक
4	प्रथम प्रवेशित वरियता सूची का प्रकाशन	दिनांक 19.11.2018 को प्रातः 11 बजे
5	अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित	दिनांक 19.11.2018 से 20.11.2018 को दोपहर 2 बजे तक
6	अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त सीटों पर जारी प्रवेश वरियता सूची प्रकाशित व शुल्क जमा का कार्य	दिनांक 21.11.2018 को प्रातः 10 बजे (सूची) फीस जमा दिनांक 21.11.2018 से 22.11.2018 को दोपहर 2 बजे तक
7	अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त रही सीटों पर वरियता सूची में सामान्य वर्ग से प्रवेश सूची का प्रकाशन	दिनांक 23.11.2018 को प्रातः 11 बजे
8	अंतिम प्रवेश वरियता सूची का प्रकाशन	दिनांक 23.11.2018 को दोपहर 2 बजे
9	प्रथम वर्ष की नियमित कक्षाओं का संचालन	दिनांक 24.11.2018 से

आवश्यक दस्तावेज

प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्न सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। निम्न दस्तावेजों के न होने पर प्रवेश आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होगा –

1. 10वीं की अंकतालिका
2. 12वीं की अंकतालिका
3. स्नातक स्तर पर की गई डिग्री की अंकतालिका
4. स्नातकोत्तर स्तर पर की गई डिग्री की अंकतालिका
5. अंतिम संस्थान द्वारा जारी स्थानान्तरण व चरित्र प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र 01.07.2017 से पूर्व का नहीं होना चाहिए)
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

8. मदस विश्वविद्यालय अजमेर के अलावा अन्य किसी विश्वविद्यालय से वांछित डिग्री प्राप्त करने पर प्रवेश हेतु मूल अंकतालिका एवं माईग्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।?
9. उल्लेखनीय है कि विधि की डिग्री केवल नियमित प्रवेश के आधार पर ही दी जा सकती है। अतः राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी नियोजक से अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश पर विचार किया जायेगा।

नोट :—

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु सामान्य वर्ग हेतु 01.07.1988 से पूर्व की और अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 01.07.1983 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए।
2. अधिक जानकारी हेतु वेबसाईट पर जाकर राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2018—19 एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के लीगल ऐज्यूकेशन रूल के सम्बंधित प्रावधान व उनके द्वारा जारी नवीनंतम परिपत्र का अवलोकन करें।

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर

1. श्रीमान सम्पादक महोदय दैनिक समाचार पत्र
2. नोटिस बोर्ड
3. रक्षित पत्रावली

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर